न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **चेतन देवड़ा** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 06/2018 (रसद)
पंजीयन दिनांक 14.09.2018

राज्य सरकार जरिये भंवर लाल नाई, प्रवर्तन निरीक्षक बेगूं जिला चित्तौड़गढ़

...................प्रार्थी

बनाम

1-मुख्य व्यवस्थापक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति बेगूं, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़
2-श्री देवीलाल धाकड़, उचित मूल्य दुकानदार खेरपुरा, ग्राम पंचायत खेरपुरा, तहसील बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़

................विपक्षीगण

कार्यवाही:- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण कराने बाबत्।

उपस्थिति:- 1-श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार
2-श्री अभिषेक गर्ग, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 21.01.2020

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन निरीक्षक, बेगूं ने प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि दिनांक 27.08.2018 को उपखण्ड अधिकारी, बेगूं द्वारा श्री देवीलाल धाकड़, उचित मूल्य दुकानदार, खेरपुरा द्वारा गेहूँ की कालाबाजारी करने की सूचना पर जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ के आदेश की अनुपालना में मैं प्रवर्तन निरीक्षक बेगूं, हमराह श्रीमति सुमन तिवारी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ तथा श्री इश्तियाक अजमेरी, प्रबन्धक नागरिक आपूर्ति चित्तौड़गढ़ के साथ मौके पर ग्राम खेरपुरा स्थित उचित मूल्य दुकान पहुंचा। मौके पर उपस्थित मौतबिरान के समक्ष दुकान का ताला खुलवाकर उचित मूल्य दुकान के स्टॉक एवं गोदाम का भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में केरोसीन एवं चीनी का स्टॉक दर्ज रेकॉर्ड के अनुसार सही पाया गया। स्टॉक रजिस्टर में गेहूं का स्टॉक शून्य दर्ज था परन्तु मौके पर गेहूं का स्टॉक 43 कट्टे (अनुमानित वजन 21.50 क्विंटल) पाया गया जिसके बारे में पूछने पर डीलर ने बताया कि दिनांक 26.07.2018 को शाम को जब मेरे स्वयं के गेहूं की गाड़ी आई तब KVSS द्वारा अन्य डीलर श्री ओम प्रकाश मेहर गांव डोराई का भी गेहूं अत्यधिक बारिश होने के कारण खेरपुरा दुकान पर ही उतार दिया। बतौर साक्ष्य डीलर ने KVSS बेगूं द्वारा

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

जारी चालान नं. 6400 दिनांक 26.07.2018 मात्रा 21 क्विंटल 46 किलो 100 ग्राम प्रस्तुत किया। KVSS बेगूं के कर्मचारी द्वारा इस बात की पुष्टि की। जिला रसद अधिकारी के आदेश की पालना में ग्राम खेरपुरा की उचित मूल्य दुकान के गोदाम में अनाधिकृत रूप से रखे खाद्यान्न की मौके पर पहुंच जब्ती की कार्यवाही की गई। दुकान में भण्डारित गेहूं का तोल जरिए फर्द तलपट्टी करवाने पर 46 कट्टों में भरा हुआ 43 क्विंटल 16.150 कि. ग्रा. खाद्यान्न पाया गया। जिसे जब्त सरकार कर ग्राम सेवा सहकारी समिति बिछोर की सुपुर्दगी में दिया गया।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बेगूं द्वारा दिनांक 26.07.2018 को श्री ओम प्रकाश मेहर (डोराई डीलर) का 21.46 क्विंटल गेहूं खेरपुरा में ही उतार देना तथा दिनांक 27.08.2018 तक खेरपुरा में ही रखे रखना संबंधित डीलर को सप्लाई नहीं करना तथा इसकी सूचना KVSS बेगूं द्वारा कार्यालय में नहीं देना और न ही डीलर द्वारा सूचना देना, क्रय-विक्रय सहकारी समिति बेगूं को जारी थोक विक्रेता के प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही श्री देवीलाल धाकड़ उचित मूल्य दुकानदार खेरपुरा द्वारा स्वयं दुकान का संचालन नहीं करना, कुछ उपभोक्ताओं को सामग्री कम देना, दो बार अगूंठा लगवाकर एक माह का ही खाद्यान्न देना, आवश्यक सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना और जिला रसद कार्यालय में बिना सूचना दिए दूसरे डीलर के गेहूं को अपने गोदाम में खाली करवाना जैसी अनियमिताएं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्तशुदा 23 क्विंटल 16.150 कि.ग्रा. गेहूं मय बारदाना का निस्तारण कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से जनरल मेनेजर बेगूं क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि. ने दिनांक 29.01.2019 को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया उसके पश्चात् पुनः उपस्थित नहीं हुए जिससे विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक गर्ग ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

पैरोकार सरकार प्रवर्तन अधिकारी ने कथन किया कि डोर टू डोर स्कीम के अन्तर्गत एफ. सी. आई. चंदेरिया से उठाए गए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं को क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बेगूं द्वारा संबंधित डीलर श्री ओम प्रकाश मेहर, उचित मूल्य दुकानदार डोराई के यहां नहीं उतारकर रास्ते में ही अन्य डीलर श्री देवीलाल धाकड़, उचित मूल्य दुकानदार, खेरपुरा के यहां बारिश का बहाना बनाकर उतारना तथा इसकी सूचना जिला रसद कार्यालय में प्रस्तुत नहीं करना राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन होने से जब्तशुदा 23 क्विंटल 16.150 कि.ग्रा. गेहूं मय बारदाना राजसात (Confiscate) करने का आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया कि दिनांक 26.07.2018 को एफ. सी. आई. चंदेरिया से ट्रक नम्बर RJ09 GA 4060 में 180 बेग वजन 92 क्विंटल 5.700 कि. ग्रा. का उठाव कर डोर टू डोर स्कीम के अन्तर्गत डीलरों को सप्लाई करने हेतु उठाव किया गया। जिसमें से चालान नम्बर 6400 वजन 21 क्विंटल 46.100 कि. ग्रा. उ. मू. दुकानदार डोराई श्री ओम प्रकाश मेहर के नाम का होने तथा श्री ओम प्रकाश मेहर उचित मूल्य दुकानदार डोराई द्वारा रात्रि में 21 क्विंटल 46.100 कि. ग्रा. गेहूं खाली करवाने से मना करने के कारण उक्त डीलर का गेहूं खेरपुरा उचित मूल्य दुकान के यहां उतार दिया। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृति नहीं होगी। अतः कार्यवाही निरस्त कराने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2 ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 26.07.2018 को क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बेगूं द्वारा विपक्षी देवीलाल के यहां गेहूं की गाडी भेजी तब अत्यधिक बारिश आने के कारण KVSS बेगूं द्वारा अन्य डीलर श्री ओम प्रकाश मेहर उचित मूल्य दुकानदार डोराई का गेहूं भी उसके यहां उतार दिया और कहा कि अगले दिन ओम प्रकाश मेहर अपना गेहूं यहां से उठा लेगा तथा सामग्री का चालान भी दिया। इसमें विपक्षी देवीलाल की कोई गलती नहीं है। उक्त गेहूं का राजसात किया जाता है तो विपक्षी देवीलाल को कोई आपत्ति नहीं है। अतः विपक्षी देवीलाल धाकड़, उचित मूल्य दुकानदार, खेरपुरा को बहाल करने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। विपक्षी संख्या 1 क्रय-विक्रय सहकारी समिति, बेगूं ने अपने जवाब में उक्त गेहूं श्री ओम प्रकाश मेहर, उचित मूल्य दुकानदार, डोराई का होकर, उसके द्वारा रात्रि मे गेहूं खाली करवाने से मना करने से खेरपुरा डीलर श्री देवीलाल के यहां उतारने का अंकन किया है। जबकि विपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 26.07.2018 को अत्यधिक बारिश होने का कथन करते हुए KVSS बेगूं द्वारा उक्त गेहूं उसके यहां उतारने तथा सुबह श्री ओम प्रकाश मेहर उचित मूल्य दुकानदार, डोराई द्वारा उठा लेने का कथन किया है जो दोनों कथन विरोधाभासी है।

उपर्युक्त कथनों एवं तथ्यों से यह निर्विवाद रूप से साबित है कि विपक्षी संख्या 1 KVSS बेगूं द्वारा उचित मूल्य दुकान डोराई का गेहूं उसके बजाय अन्य उचित मूल्य दुकानदार खेरपुरा के यहां उतारा गया। कारण चाहे जो रहा हो, यह गलत एवं नियम विरूद्ध कार्यवाही है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न भी होती तो KVSS बेगूं का यह दायित्व था कि इसकी सूचना विभागीय अधिकारियों को दी जाती, जो ऐसा करना नहीं पाया जाता है इस हेतु KVSS बेगूं पूर्णतः जिम्मेदार है। इसके विरूद्ध कोई कार्यवाही होना प्रतिवेदित नहीं है। जहां तक अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा लाईसेन्स बहाल करने एवं उसकी कोई गलती नहीं होना निवेदन किया है इस हेतु उसके द्वारा अनुज्ञा निरस्ती आदेश के विरूद्ध पृथक से अपील दायर करने का परामर्श दिया जाता है।

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

जिला कलक्टर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 06/2018 (रसद)
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बेगूं बनाम मुख्य व्यवस्थापक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति बेगूं वगैरा

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं साक्ष्य के मध्यनजर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जब्तशुदा गेहूं 23 क्विंटल 16.150 कि. ग्रा. मय बारदाना को राजसात (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त सामग्री का नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(चेतन देवड़ा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Chetan Ram Deora
Date: 2020.02.03 17:22:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: